पत्रावली आज दिनांक 26-06-2015 को पेश हो।

ह0

26-06-2015 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अवध सेवा केन्द्र - अवध सेवा केन्द्र - आनन्दपुर कालू पर पेश हुई। वकील गैरसा० की दिनांक 24-04-2007 से लगातार जवाब प्रार्थना पेश करने हेतु अवसर अनेकानेक दिये जाने पर भी पेश करने में विफल रहने से अवसर समाप्त किया जाकर जवाब बन्द किया जाता है। बहस वकुलादपुर्वा गई। वकील साधक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शपथ-पत्र सम शोजाब दिलाये का शपथपूर्वक अस्वीकार किया गया। वस्तुतः राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्बन्ध Nil आधार वर्ष 2005 अनुसार विवादित भूमि खसरा नं0 1498 रकबा 26=03 बीघा काश्त के साथ एवं खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें आवाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है। लिहाजा वकील साधक काश्तकार प्रार्थना स्वीकार किया जाता है आवाई निषेधाज्ञा बहक साधक विरुद्ध गैरसा० इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा - आनन्दपुर कालू स्थित में स्थित खसरा नं0 1498/1 रकबा 26=03 बीघा काश्त भूमि में साधक के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने अथवा कोई कच्चा पक्का निर्माण करने आदि से गैरसा० को वाद निर्णय तक रोका जाता है। दिनांक 26-03-2007 को जारी अन्तरिम आवाई निषेधाज्ञा को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से कार्यालय वाद तकमील जाकर दाखिल दफ्तर। रकबा अण्डा जमा हो।

ह0